

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कर्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री बृजनाथ	पचावितरक	एपीओ निदेशालय	श्री विजयनगर
2	श्री रितु शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक	किशनगढबास	कोटपूतली
3	श्रीमती नेहा खण्डेलवाल	कनिष्ठ सहायक	बगरू	जयपुर
4	श्री रामकिशोर	जमादार	मकराना	डेगाना
5	गुडडी देवी	सफाई कर्मचारी	मकराना	डेगाना
6	श्री अकुश नागपाल	कनिष्ठ सहायक	पदमपुर	सादुलशहर
7	श्री पदम नवीन	कनिष्ठ लिपिक	डीडवाना	सीकर
8	श्री कमलेश शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार	चाकसू	निवाई
9	श्री मुकेश कुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	फुलेरा	निवाई
10	श्री महावीर चौहान	वरिष्ठ लिपिक	एपीओ निदेशालय	कापरेन
11	श्री मनोज कुमार चौहान	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	किशनगढ(अजमेर)
12	श्री महावीर सुमन	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	सांगोद
13	श्री अर्जुन लाल	फायरमैन	चाकसू	चौमू
14	श्री पवन कुमार बुटोलिया	च0श्रे0 कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	खाटुश्यामजी
15	श्री रामशरण सिंह पुत्र नारायण सिंह	जमादार	उदयपुर	जयपुर
16	श्री विनोद लोहरा पुत्र कालूराम	सफाई कर्मचारी	देशनोक	बीकानेर
17	श्री हडमान राम पुत्र श्री छैलाराम	सफाई कर्मचारी टो.न. 310	नोखां	बीकानेर
18	पुष्पा देवी पत्नी श्री हडमान	सफाई कर्मचारी टो.नं. 214	नोखां	बीकानेर
19	श्री लालचंद पुत्र श्री आत्माराम	सफाई कर्मचारी टो.नं. 141	नोखां	सुरतगढ
20	श्री यतीश पुत्र राजकुमार	सफाई कर्मचारी सैक्टर 3	कोटा	एपीओ निदेशालय
21	इन्दिरा बाई पत्नी श्री गणेश झावा	सफाई कर्मचारी सैक्टर 11	कोटा	एपीओ निदेशालय
22	कार्तिक सरफिया पुत्र श्री राजकुमार	सफाई कर्मचारी सैक्टर 1	कोटा	एपीओ निदेशालय
23	प्रदीप सरफिया पुत्र श्री राजकुमार	सफाई कर्मचारी सैक्टर 2	कोटा	एपीओ निदेशालय
24	श्री गिरधारी पुत्र श्री शंकर	सफाई कर्मचारी सैक्टर 39	कोटा	एपीओ निदेशालय
25	श्रीनात पुत्र श्री गुडकिया	सफाई कर्मचारी सैक्टर 3	कोटा	एपीओ निदेशालय
26	श्री पूनमचन्द पुत्र श्री ताराचंद	सफाई कर्मचारी	सरवाड	अजमेर

अतः उक्त को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट—

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संबिदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हो तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/3801-3864 दिनांक : 7/3/2019

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
4. महापोर/सभापति/अध्यक्ष/ आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका,
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग
6. संबधित कर्मचारी.....
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)